

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/सा/माध्य/शाला दर्पण/2015

दिनांक:- 07-07-2016

समस्त संस्था प्रधान

राजकीय उमावि/बाउमावि/बामावि/मावि

विषय:- शाला दर्पण पोर्टल पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

शाला दर्पण पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों द्वारा ऑन लाईन डाटा फीडिंग का कार्य प्रगति पर है। सभी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की टीसी शाला दर्पण पोर्टल पर जारी की जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए टीसी जारी करें-

1. विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी नियमानुसार एक बार ही ओरिजनल टीसी प्राप्त कर सकता है। अतः पोर्टल से जारी की जाने वाली ओरिजनल टीसी भी एक ही बार जारी की जा सकेगी। यदि किसी भी कारण से किसी विद्यार्थी की पूर्व की भांति ऑफलाइन टीसी जारी कर दी गई है, तो विद्यार्थी को ऑन लाइन टीसी की प्रति जारी न करें। ऑफ लाईन जारी टीसी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जारी किये गये शाला दर्पण क्रमांक को टीसी रजिस्टर में इन्द्राज करें। ध्यान रहें कि संस्था प्रधानों द्वारा केवल और केवल ऑफ लाइन या ऑनलाईन टीसी में से एक ही ओरिजनल टीसी हस्ताक्षर कर जारी की जानी है।
2. टीसी विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो त्रुटिहीन होना चाहिए। विद्यार्थी का विस्तृत विवरण पत्र भरते हुए किसी विद्यालय से कोई त्रुटी हो गई है, तो टीसी जारी करने से पूर्व सभी त्रुटियों को सुधारें। टीसी जारी करने से पूर्व विद्यार्थियों की सभी सूचनाएँ आवश्यक रूप से जांचें। जांचकर ही टीसी जारी करें।
3. समस्त त्रुटी सुधार करने के पश्चात् भी टीसी जारी करने से पूर्व एसआर रजिस्टर से समस्त प्रविष्टियों का पुनः मिलान करने के पश्चात् ही टीसी जारी करें। एक बार टीसी जारी करने बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
4. उपरोक्त बिन्दु 2 व 3 के अनुसार जारी ऑन लाईन टीसी में यदि फिर भी कोई त्रुटी रह गई हो तो ऑनलाईन टीसी में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होने के कारण, ऐसे विद्यार्थियों की जारी ओरिजनल ऑन लाईन टीसी पुनः प्राप्त कर पूर्व की भांति एसआर रजिस्टर से हस्तलिखित टीसी जारी की जा सकेगी। उस हस्तलिखित टीसी पर पूर्व में जारी ऑन लाईन टीसी का शाला दर्पण क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।
5. यदि संस्था प्रधान द्वारा गलती से पोर्टल पर किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर किसी अन्य विद्यार्थी की टीसी जारी कर दी गई है तो ऐसे विद्यार्थी की टीसी निरस्त नहीं की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में गलत

5. यदि संस्था प्रधान द्वारा गलती से पोर्टल पर किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर किसी अन्य विद्यार्थी की टीसी जारी कर दी गई है तो ऐसे विद्यार्थी की टीसी निरस्त नहीं की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में गलत टीसी जारी विद्यार्थी का पुनः प्रवेश नए एसआर नम्बर जारी कर किया जा सकेगा तथा विद्यार्थी का पुराना डाटा पुराने एसआर नम्बर से लिंक कर प्राप्त किया जा सकेगा।
6. विद्यालय से कोई छात्र किसी कक्षा (विद्यालय की अंतिम कक्षा को छोड़कर) में उत्तीर्ण होता है तो उसे स्वभाविक रूप से अगली कक्षा में कमोन्नत कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की नये सत्रानुसार टीसी जारी की जा सकेगी।
7. बिन्दु संख्या-6 के अनुसार जारी टीसी में टीसी जारी करते समय विकल्प कक्षा उन्नति के बाद लगातार अनुपस्थित रहते हुए अन्यत्र प्रवेश हेतु उपयोग कर टीसी जारी की जावेगी जिससे विद्यार्थी नये सत्र में उपस्थिति शून्य मानी जावेगी तथा विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
8. बिन्दु संख्या-6 के अनुसार यदि नये सत्र में विद्यार्थी द्वारा विद्यालय शुल्क जमा करा दिया गया है तो उसे कमोन्नत कक्षा में अध्ययनरत दर्शाते हुए टीसी जारी की जा सकेगी तथा टीसी में विद्यार्थी के नये सत्र की उपस्थिति दर्शानी है।

(बी.एस.स्वर्णकार)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 श्रीमान् निजी सचिव, शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2 श्रीमान् निदेशक, रामाशिप्र, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
- 3 समस्त उपनिदेशक , माध्यमिक शिक्षा ।
- 4 समस्त जिशिअ, माध्यमिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय ।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 6 रक्षित पत्रावली ।



उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर